[2008] 11 एस.सी.आर. 426

नसीरुद्दीन खान और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

(2001 की आपराधिक अपील संख्या 3)

जुलाई 29, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860; धारा 304 भाग-II और धारा 323:

हत्या और हमले के बराबर न आने वाली गैर इरादतन हत्या — अभियुक्तों ने हथियारों से मृतक पर हमला किया तथा उसे घायल किया — निजी प्रतिरक्षा का अधिकार — का प्रयोग — विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 304 भाग–I तथा धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया और तदनुसार दंडित किया — उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया — सही ठहराया गया — अभिनिर्धारित: अभियुक्तों को लगी चोटें साधारण और सतही प्रकृति की थीं — इसलिए, अभियुक्त अपीलकर्ता क्रमांक 1 के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय समर्थित — हालाँकि, अन्य अभियुक्तों के मामले में, उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 का लाभ प्रदान किया जाता है, इस शर्त पर कि वे विचरण न्यायाधीश द्वारा निर्धारित राशि के बंधपत्र निष्पादित करेंगे — निर्देश जारी — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 — धारा 360 — प्रथम अपराधी — अच्छे आचरण पर परिवीक्षा पर रिहाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, अभियुक्त व्यक्तियों और पीड़ित के बीच झगड़ा हुआ। अभियुक्त ने पीड़ित पर हथियारों से हमला किया और उसे घायल कर दिया। जब ग्रामीण इकट्ठा हुए तो आरोपी भाग गए। घायल को सूचक ने अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बयान के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। विचारण

न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I और धारा 323 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया और तदनुसार उन्हें दोषी ठहराया तथा दण्डित किया। इसके विरुद्ध दायर अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। अतः वर्तमान अपील।

अभियुक्त-अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि उन्होंने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया और, इसलिए, कोई अपराध नहीं किया गया था; यह घटना 6.10.1981 पर हुई थी और इसलिए, अपीलार्थी संख्या 1 के मामले में सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम किया जाना चाहिए और अन्य दो अपीलार्थियों के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी व्यक्तियों को लगी चोटें केवल सतही प्रकृति की थीं। साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पाया है कि निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य के संदर्भ में पाया कि अभियुक्तों में से एक 'एन' पर तथाकथित चोट को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हालाँकि उन्होंने दावा किया और आरोप लगाया कि उन्हें भाला से चोट लगी थी, लेकिन चोट प्रतिवेदन से पता चलता है कि डॉक्टर द्वारा उन पर पाई गई चोट से पता चलता है कि उन्हें कठोर कुंद पदार्थ से चोट लगी थी और चोटें साधारण थीं। इसीलिए, जहाँ तक अपीलकर्ता संख्या 1 की दोषसिद्धि और सजा का संबंध है, उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है। हालांकि, लंबे समय तक चलने और दी गई सजा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी सं.2 और 3 को धारा 360 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ देना उचित होगा, ऐसी राशि के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने पर, जो विचारण न्यायाधीश द्वारा तय की जा सकती है। (कंडिका-5) [429-एफ-एच; 430-ए-बी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2001 की आपराधिक अपील संख्या 3

1989 की आपराधिक अपील संख्या 216 (ए.न्या.) में पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकर के दिनांक 13.1.2000 के निर्णय एवं आदेश से

अपीलार्थियों की ओर से पी. एस. मिश्रा, हर्षवर्धन तथागत, शेफाली जैन, सुनीता आर. सिंह और राजेश प्रसाद सिंह।

उत्तरदाताओं की और से गोपाल सिंह, मनीष कुमार और विमला सिन्हा

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायमूर्ति 1. इस अपील में चुनौती पटना उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के उस निर्णय को दी गई है, जिसमें यह माना गया कि अपीलकर्ता संख्या 1 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भारतीय दण्ड संहिता') की धारा 304 भाग-2 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी है और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया, तथा अन्य दो अपीलकर्ताओं को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराकर एक वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा दी गई।

2. मुकदमे के दौरान अभियोजन संस्करण जैसा कि सामने आया है, निम्नलिखित है:

मुर्तजा खान (प्रदर्श 3) के फरदबेयान के अनुसार, 6.10.1981 लगभग 11.30 पर सूचक मक्के की फसल रखने के लिए अपनी सहान भूमि पर खूंटे लगा रहा था। अचानक आरोपी व्यक्ति नसीरुद्दीन खान, लजीम खान और महमूद खान वहाँ आए और खंभे को लगाने के कार्य का विरोध किया। सूचक ने जवाब दिया कि वह अपने ही साहन पर खूंटे लगा रहा था और, इसलिए किसी भी विरोध का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने आरोपी से यह भी कहा कि वह जमीन की माप करवाए ताकि पता चल सके कि खूंटी उसकी जमीन पर लगाई जा रही है या उसकी अपनी जमीन पर। लेकिन नसीरुद्दीन खान, लजीम खान और महमूद खान ने घोषणा की कि सूचक तर्क पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए उस पर हमला किया जाना चाहिए। इसके बाद, आरोपी मजिरुद्दीन खान एक भाला लेकर आया और कयामुद्दीन खान और सदरुद्दीन खान लाठियाँ लाए। मजिरुद्दीन ने भाला नसीरुद्दीन खान को सौंप दिया और एक

और भाला लाने के लिए वापस चला गया। लाजिम खान अपने घर से एक लाठी भी लाए थे। इसके बाद, सूचक के भाई सलाम खान, फरमान खान और कलाम खान मुंशी खान बेटे वहाँ उपस्थित हुए और अभियुक्त व्यक्तियों को हमले में शामिल नहीं होने के लिए कहा। इस बीच, सूचक के भाई कलाम खान पर नसीरुद्दीन ने भाला से हमला किया, जिससे उसके दाहिने कनपटी पर चोट लगी। इसके बाद, नसीरुद्दीन खान हाथ में भाला लिए वहाँ खड़ा था और सदरुद्दीन खान, गयामुद्दीन खान और लाजिम खान ने कलाम खान, सलाम खान, फरमान खान और मुंशी खान पर हमला कर दिया। जब ग्रामीण इकट्ठा हुए तो आरोपी भाग निकले। घायल कलाम खान को अस्पताल लाया गया, जहाँ सूचक ने अपना फरदबेयान दिया।

विचारण न्यायालय ने नौ गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाया और उन्हें पूर्वोक्त सजा सुनाई। अपील में विचारण न्यायालय के विचारों की पुष्टि की गई।

3. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थियों ने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया और वहां कोई अपराध नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह तर्क किया जाता है कि घटना 6.10.1981 पर हुई थी और, इसलिए, अपीलार्थी संख्या 1 के मामले में सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम किया जाना चाहिए। अन्य दो अपीलार्थियों के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दण्ड प्रक्रिया संहिता.') की धारा 360 के प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों का समर्थन किया।

5. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पाया कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जहाँ यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। याचिका यह थी कि अभियुक्त व्यक्तियों को भी चोटें आईं और इसलिए, झूठे निहितार्थ के बचाव संस्करण और निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने देखा कि अभियुक्त व्यक्तियों की चोट सतही प्रकृति की थी। साक्ष्य का

विश्लेषण करने के बाद, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पाया है कि विशेषाधिकार बचाव के अधिकार का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं था। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य के संदर्भ में पाया कि नसीरुद्दीन पर तथाकथित चोट को संदेह के साथ देखा जाना चाहिए। हालाँकि नसीरुद्दीन ने दावा किया और आरोप लगाया कि उसे चोट लगी थी, चोट प्रतिवेदन (प्रदर्श बी) से पता चलता है कि डॉक्टर द्वारा उस पर पाई गई चोट से संकेत मिलता है कि आरोपी को किसी कठोर कुंद पदार्थ से चोट लगी थी और चोटें साधारण थीं। इसलिए, जहां तक अपीलकर्ता संख्या 1 की दोषसिद्धि और सजा का संबंध है, उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है। हालाँकि, लंबे समय बीतने और दी गई सजा की अवधि को देखते हुए, हम अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 को धारा 360 दण्ड प्रक्रिया संहिता के लाभों का विस्तार करना उचित समझते हैं, बशर्ते कि वे विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा तय की गई राशि के बंधपत्र भरें। अपीलार्थी संख्या 1 को शेष सजा काटने के लिए तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा।

6. अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

एस.के.एस

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।